

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

216/2016/राजस्व रामकरण वगैरह वनाम रामेश्वर वगैरह

तारीख	2016/00216 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री राममुख चौहान श्री रविश शर्मा 1.3.19.12	4A10,11

13/12
22

रामकरण वगैरह वनाम रामेश्वर वगैरह(216/2016) पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 09, 12 उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 06.12.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में अंकित आराजीयात के सम्बन्ध में आवंटन अधिकारी, द्वारा चारित आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय चतुर्भुज पुत्र अमरा के द्वारा अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज वनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिसका निस्तारण मान्नीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 03.02.1981 को होने के सम्बन्ध में उपरोक्त बउनवानी अपील संख्या 2017/2016 के अभिभाषक द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.2022 को जवाब मयाद प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत करने के पश्चात प्रार्थीगण/अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.11.2022 को मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन कर दिनांक 17.11.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई है कि अपीलान्तीन आदेश के विरुद्ध पूर्व में प्रार्थीगण के पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.1981 के विरुद्ध प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुतोष प्राप्ति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उपरोक्त अपील प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त बउनवानी अपील सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करवाये।

अभिभाषक रेस्पोंडेंटस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष समान मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध वर्तमान अपीलान्ट के पिता द्वारा संस्थित पूर्ववर्ती तीनों अपील क्रमशः अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज वनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिनके दिनांक 03.02.1981 की जानकारी उक्त निर्णय के रोज से वर्तमान अपीलान्ट को होना मानी जायेगी, क्योंकि उक्त अपीलें उसके पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी एवं पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 03.02.1981 से वर्तमान अपीलान्ट प्रश्नगत अपील समान मूल आवंटन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत करने से पूर्णतया विवधित है तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णय से जब अपीलान्ट के पिता को ही मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरुद्ध अपील पेश करने की अनुमति मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है तो ऐसी विधिक स्थिति में प्रश्नगत विचारार्थीन अपील में पूर्ववर्ती अपीलान्ट के विरुद्ध चाराजोही करनी की स्वतंत्रता कानूनानुसार प्रदत्त नहीं की जा सकती है इसलिए प्रश्नगत अपील को साधारण तौर पर विद्धानुसार प्रदत्त की जाना न्यायोचित है न कि सशर्त विद्धानुसार की अनुमति दी जाना न्यायोचित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति वास्तु दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायोचित में प्रदान कराये।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण को आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 की अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त तथ्य की जानकारी अभिभाषक रेस्पोंडेंटस के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र से हुई है प्रार्थी का अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई दुगावंन नहीं रही है इसलिए न्यायोचित में 2,000 रुपये कोस्ट पर सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति दिया जाना उचित समझते है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

216/12/15

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

216/2016/75LR 216/2016/4/5 राजस्व अपील नं० 1

तारीख	2016/00216 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	6A10,	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री 216/00216 श्री कृपक शर्मा-2	रजिस्ट्रार मले 1, 3/9/12	

अतः प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति हेतु को 2,000/-रुपये कोस्ट पर राशर्त प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती हैं। अभिभाषक अपीलांत उक्त कोस्ट अभिभाषक रीपोडेन्टस को देंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर